

पत्रांक 10/न4-16/2002मा10-702:

बिहार सरकार,  
मानव संसाधन विकास विभाग।

ANNEX

प्रश्न

श्री हंसचन्द्र झा  
सरकार के अपर सचिव।

सचिव,

सचिव,  
राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,  
विश्व केंद्र, हनुमानटी रोस्टर, प्रीत विहार,  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

विषय:-

राज्य के निजी विद्यालयों को राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,  
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के  
संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते  
हूए कहना है कि 29-8-05 को तृतीय विद्यालयों को अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन  
किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय  
के आलोक में निम्नलिखित निजी विद्यालयों को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता  
हेतु अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के निर्णय लिया गया:-

1. रिजिनल सेकेंडरी स्कूल, गांधी चौक  
मधुवनी अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के  
निर्णय लिया गया।
2. डी0एस0पी0 पब्लिक स्कूल,  
रतवार, झुआ झेमूर। अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के  
निर्णय लिया गया।
3. डी0एस0पी0 पब्लिक स्कूल,  
आवाकनगर, आवाक टाउन हॉल  
रोड, जमुई अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के  
निर्णय लिया गया।
4. डॉन वास्को स्कूल, वी0वी0 पब्लिक  
दरभंगा। इस शास्त्र पर अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन  
करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय  
के द्वारा सी0वी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता  
प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत  
तीन अप्रशिक्षित शिक्षकों प्रशिक्षित हो जायें  
या विद्यालय प्रबंधन द्वारा उनके स्थान पर  
प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली  
जायगी।
5. दरभंगा सेन्ट्रल स्कूल, धमालगढ़  
दरभंगा अनारपत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन के  
निर्णय इस शास्त्र पर लिया गया कि विद्यालय  
सी0वी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने  
के पूर्व भवन संबंधी शास्त्र पूरा कर लेगा।

Principal  
D.A.V. PUBLIC SCHOOL  
Ratwar, Mohania  
Kaimur (Bihar) 821109

MANAGER  
D. A. V. Public School  
Ratwar, Mohania  
Kaimur (Bihar) - 821109

सी0वी0एस0ई0

Handwritten signature

HEADMASTER  
D.A.V. PUBLIC SCHOOL

6. अज्ञान विद्यालय, स्टेशन रोड, पटना

इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
करने का निर्णय किया गया कि विद्यालय  
द्वारा सी.जी.एस.ओ. बोर्ड से सम्बन्धित प्र  
करण के पूर्व विद्यालय से कार्यरत अप्रशिक्षित  
शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएंगे अथवा उनके स्थान  
पर पूर्वानुमति प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति कर  
लेगी ।


7 - मानस विद्यालय ठाकुरबाड़ी रोड  
जहनाबाद

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निगति करने का निर्णय  
इस शर्त पर लिया गया कि विद्यालय सी.जी.ओ.  
एस.ओ. बोर्ड से सम्बन्धित प्राप्त करने के पूर्व  
भवन संबंधी शर्त पूर्ण कर लेगा तथा विद्यालय  
के अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित कर लेगा  
अथवा उसके स्थान पर प्रशिक्षित शिक्षकों की  
नियुक्ति कर लेगा ।

8 - दिग्गजान सिंह स्त्री स्कूल, नया  
रोड, छडानपुर, विहटा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निगति करने का निर्णय  
इस शर्त पर लिया गया कि निर्धारित मापदंड  
के आधार पर विहटा में भवन निर्मित कर अथवा  
विहटा में ही निर्धारित मापदंड के अनुरूप लीज  
पर भवन लेकर विद्यालय संचालित करने पर प्रारम्भ  
कर दें तथा विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षकों को  
प्रशिक्षित कर दें अथवा उनके स्थान पर प्रशिक्षित  
शिक्षकों की नियुक्ति कर लें ।

विभागाध्यक्ष जन,



हिमचन्द्र झा  
सरकार के अपर सचिव ।

कृपया

क्रमांक 702 : पटना, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपि सर्वधित जिला पदाधिकारी/सर्वधित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/  
सर्वधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/सर्वधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2 - शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-कम  
एक साल बाद विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा ।

3 - निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यालय को निगति अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/  
वर्षा करने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षक/कर्मियों को राज्य सरकार  
के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया  
जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा है;

कृपया: पृ-3।

